

निरपेक्ष समान त्याग

इस सिद्धान्त के अन्तर्गत L अपनी आय OB में से CB मात्रा का भुगतान करता है तथा H अपनी आय OB' में से C'B' का। CB आय का भुगतान करके L का त्याग CBDE के बराबर होता है तथा H का C'B'D'E' के बराबर। T का वितरण L और H के बीच इस प्रकार होता है कि $CBDE = C'B'D'E'$ ।

जब इस बात पर विचार किया जाय कि आय कर का ढांचा कैसा होगा प्रतिगामी, आनुपातिक या प्रगतिशील। यदि आय की सीमान्त उपयोगिता स्थिर रहे तो MU वक्र X-अक्षांश के समानान्तर रहेगा। इस नियम में सभी आय पाने वाले समान मात्रा में कर का भुगतान करके समान त्याग करेंगे। जब सीमान्त उपयोगिता में हास होता है तब आय में वृद्धि के साथ कर दायित्व ऐसा नहीं होता कि कर प्रणाली प्रगतिशील ही होनी चाहिए। आय कर का उस समय प्रगतिशील होना आवश्यक होगा, जबकि आय की सीमान्त उपयोगिता की लोच एक से अधिक होगी। यदि लोच एक से कम है तो आय कर प्रतिगामी होगा। आनुपातिक आय कर उस समय होता है जब यह लोच एक होती है।

आनुपातिक समान त्याग

इस नियम के अन्तर्गत L को PB तथा H को P'B' मात्रा में कर का भुगतान करना चाहिए ताकि $PB + P'B' = T$ । कर इस प्रकार लगाया जाता है कि कर के पूर्व L द्वारा उपयोगिता का त्याग

(= PBDK/OBDM) H द्वारा त्यागी गयी उपयोगिता ($P'B'D'K'/OB'D'M'$) के बराबर होगी। मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता के स्थिर रहने पर आनुपातिक आय कर की आवश्यकता होगी। सीमान्त उपयोगिता के घटने पर, किन्तु रेखीय रहने पर कर प्रणाली प्रगतिशील होगी, किन्तु यदि सीमान्त उपयोगिता में हासमान दर में कमी हो तो कोई सामान्यीकरण कठिन होगा।

समान सीमान्त त्याग

इस नियम के अन्तर्गत L को FB तथा H को F'B' मात्रा में कर का भुगतान करना चाहिए ताकि $FB + F'B' = T$ । दोनों करदाताओं का सीमान्त त्याग बराबर है। कर के भुगतान के बाद L की आय OF रह जाती है जो H के कर-पश्चात् आय OF' के बराबर है। दोनों का कुल त्याग न्यूनतम रहता है और वह $FBDG + F'B'D'G'$ के बराबर होता है।

मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता के स्थिर रहने पर कर की कुल राशि का वितरण करदाताओं के मध्य अनिश्चित रहेगा। सीमान्त उपयोगिता के घटने पर अधिकतम प्रगतिशीलता आवश्यक है अर्थात् अधिकतम आय पाने वालों की आय में तब तक कमी करनी चाहिए जब तक कुल कर राजस्व (T) प्राप्त न हो जाय। कर के भुगतान के पश्चात् सभी करदाताओं की आय समान हो जाती है।

गणित के रूप में समान त्याग के तीनों नियमों को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है—

$$\text{निरपेक्ष समान त्याग} = U(Y) - U(Y - T) \text{ सभी के समान}$$

$$\text{आनुपातिक समान त्याग} = \frac{U(Y) - U(Y - T)}{U(Y)} \text{ सभी के समान}$$

$$\text{समान सीमान्त त्याग} = \frac{dU(Y - T)}{d(Y - T)} \text{ सभी के समान}$$

जहां, Y = आय,

T = कर राजस्व

$U(Y)$ = आय से प्राप्त कुल उपयोगिता

dU = सीमान्त उपयोगिता

$U(Y-T)$ = कर पश्चात् आय की कुल उपयोगिता

समान सीमान्त त्याग नियम के अन्तर्गत प्रगतिशील कर प्रणाली आवश्यक है। अन्य दो नियमों के अन्तर्गत ऐसी कर प्रणाली होगी ही, यह स्पष्ट नहीं है। ऐसा उस समय भी कहा जायेगा जब सीमान्त उपयोगिता घटती है। घटती सीमान्त उपयोगिता की मान्यता उचित ही जान पड़ती है, लेकिन हास किस प्रकार हो रहा है इस सम्बन्ध में सही ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। साथ ही, अलग-अलग व्यक्तियों के लिए सीमान्त उपयोगिता वक्र की ढलान अलग-अलग होती है। अन्तर वैयक्तिक उपयोगिता की तुलना (inter-personal utility comparison) को मान लिया जाता है, लेकिन यह मान्यता विवादपूर्ण है। अतः समान त्याग के आधार पर प्रगतिशील कर प्रणाली की बात नहीं की जा सकती है निश्चित रूप में तथा सभी दशाओं में।

कल्याण के रूप समान त्याग

कुछ लेखकों ने समान त्याग की व्याख्या करते हुए कहा कि इसका अर्थ कुल त्याग को न्यूनतम तथा कल्याण को अधिकतम करना है। इस प्रकार इस व्याख्या के अन्तर्गत बल समानता पर नहीं अपितु कल्याण पर दिया गया है। कल्याण का क्षेत्र विस्तृत है, क्योंकि इसमें आय के वितरण की सम्पूर्ण समस्या का समावेश हो जाता है। समान त्याग की व्याख्या कल्याण के रूप में करने वाले लेखकों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक वर्ग में वे हैं जो सिर्फ कर भार के वितरण की बात करते हैं। दूसरे वर्ग में वे हैं जो सम्पूर्ण बजट की बात करते हैं तथा कर एवं लोक व्यय दोनों के निर्धारण की बात करते हैं।

एजवर्थ तथा पीगू (Edgeworth and Pigou) ने न्यूनतम कुल त्याग (Least Aggregate Sacrifice) को कर भार वितरण का श्रेष्ठ सिद्धान्त माना। ऐसा इसलिए नहीं कि यह समानता पर आधारित है, बल्कि इसलिए कि यह मूल उपयोगितावादी (utilitarian) सिद्धान्त अधिकतम सुख (maximum happiness) पर आधारित है। पीगू के अनुसार इस सिद्धान्त को लागू करने का अर्थ है “एक न्यूनतम आय से अधिक सभी

आय को काट देना ताकि कर के भुगतान के पश्चात् सभी की आय एक समान हो जाय” (“Lopping off the tops of all income above the minimum income and having every body, after taxation, with equal income.”) प्रगतिशील कर प्रणाली का उत्पत्ति पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण एजवर्थ तथा पीगू दोनों ने इस नियम में थोड़ा संशोधन किया है।

(5)

समाजवादी विचारधारा के अर्थशास्त्रियों को करदान योग्यता सिद्धान्त में प्रगतिशील कर प्रणाली तथा आय के पुनर्वितरण का एक महत्वपूर्ण साधन मिला। एडॉल्फ वैगनर (Adolph Wagner) ने इसी धारणा को स्वीकार किया तथा करारोपण के सिर्फ वित्तीय (purely fiscal) तथा सामाजिक कल्याण (social welfare) सिद्धान्तों में अन्तर किया। केवल वित्तीय सिद्धान्त की व्याख्या इस मान्यता के अन्तर्गत की जाती है कि आय का मौजूदा वितरण उचित है। अतः इस वितरण को कायम रखना है और आनुपातिक कर प्रणाली लागू करनी चाहिए। सामाजिक कल्याण सिद्धान्त के अन्तर्गत यह मान लिया जाता है कि बाजार यन्व तथा सम्पत्ति के कानून के आधार पर निर्धारित आय का वितरण अनुचित है। अतः इसमें सुधार की जरूरत है। करदान योग्यता के अनुसार प्रगतिशील कर प्रणाली लागू करनी चाहिए तथा वह समान त्याग पर आधारित होनी चाहिए, लेकिन वैगनर ने स्पष्ट नहीं किया कि समान त्याग का अर्थ क्या होता है निरपेक्ष या आनुपातिक।

11.3.3 अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धान्त (Principle of Maximum Social Advantage)

डॉल्टन (Dalton) का कहना है कि यदि अर्थशास्त्र या राजनीतिशास्त्र की शाखा के रूप में लोक वित्त की विवेचना करनी है तो इसकी जड़ में एक मौलिक सिद्धान्त के प्रतिपादन की आवश्यकता है। इसे हम अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धान्त (Principle of Maximum Social Advantage) कह सकते हैं।

इस सिद्धान्त को प्रतिपादित करके वे अनेक पुरानी धारणाओं की गलतियों को ठीक प्रकार से स्पष्ट कर सके। जे. बी. से ने कहा था कि “वित्त की सर्वोत्तम योजना वह है जहां लोक व्यय न्यूनतम रहता है तथा सर्वोत्तम कर वह है जिसकी मात्रा न्यूनतम रहती है।”¹ यह वह जमाना था जब प्रत्येक कर को बुरा समझा जाता था (“Every tax is an evil”)। इस कथन का यह असर हुआ कि कर तथा व्यय पर गम्भीरता से विचार करने के पूर्व ही लोग पूर्वाग्रह (Bias) की चपेट में आ गए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार न तो यह कहना सही है कि सभी लोक व्यय लाभदायक होते हैं और न ही यह उक्ति ठीक समझी जा सकती है कि प्रत्यक्ष कर बुरा होता है। शराब पर कर लगाने से इसकी कीमत बढ़ जाती है तथा उपभोग कम हो जाता है। ऐसा कर निःसन्देह अच्छा कहा जायेगा। अठारहवीं सदी के इंग्लैण्ड में कोई व्यक्ति एक पेनी खर्च करके भरपूर पी सकता था तथा दो पेन्स खर्च करके होश-हवाश खो सकता था (“A man could get drunk for a penny and dead drunk for two pence.”)। यह उचित स्थिति नहीं थी। अतः शराब पर कर बुरा नहीं माना जा सकता। उसी तरह यह सही नहीं है कि कोई भी लोक व्यय अच्छा नहीं होता। अनावश्यक युद्धों पर व्यय स्पष्टतः बुरा होता है। किन्तु, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय ऐसा नहीं समझा जा सकता है। इसलिए तदनुकूल लोक व्यय के लाभ पर ध्यान दिए विना कर के बोझ की बात करना अनुचित है।

ऐसी बात करना कि सभी कर बुरे होते हैं उस व्यक्तिवादी धारणा पर आधारित है जो यह मानती है कि राज्य कोई उपयोगी काम नहीं कर सकता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उपरोक्त धारणा का सम्बन्ध व्यय के ‘उत्पादक’ एवं ‘अनुत्पादक’ (Productive and unproductive) के मध्य विभाजन से है। एडम स्मिथ, रिकार्डों, आदि शुरू के क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का यह मत था कि अधिकांश निजी व्यय जो कर के कारण नहीं हो पाते हैं, उत्पादक होते हैं जबकि अधिकांश लोक व्यय जो कर के कारण सम्भव हो पाते हैं, अनुत्पादक होते हैं। यह गलत धारणा है। शराब पर किया गया निजी व्यय शिक्षा पर किए गए लोक व्यय की तुलना में अधिक उत्पादक नहीं समझा जा सकता है। इसलिए लोक वित्त की किसी भी क्रिया के सम्बन्ध में तब तक किसी विचार का व्यक्त करना उचित नहीं समझा जा सकता जब तक उसके प्रभावों की जांच न कर ली जाये।

¹ “The very best of all plans of finance is to spend little and the best of all taxes is that which is least in amount.” —J. B. Say